दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग - 2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार, 6 दिसम्बर,2004/ 15 अग्रहायण,1926 (शक)

संख्या: 69

विषय: सदस्य की गिरफ्तारी व रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली के नाम, उपायुक्त

पुलिस, मध्य ज़िला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

" मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि डॉ. हर्षवर्धन, माननीय विधान सभा सदस्य, दिल्ली को उनके समर्थकों के साथ, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत पुलिस के विधिपूर्ण निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण डॉ. अम्बेडकर स्टेडियम, नई दिल्ली के सामने प्रथम बैरिकेड्स पर दिनांक 1-12-2004 को 2-30 बजे (अपराहन) गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उनके समर्थकों के साथ पुलिस थाना, आई.पी. एस्टेट से उसी दिन अर्थात् 1-12-2004 को 2-50 बजे (अपराह्न) रिहा कर दिया गया। "

> सिद्धार्थ राव, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Monday 6th December, 2004/15, Agrahayana 1926 (Saka)

No.69

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from Deputy Commissioner of Police, Central District, New Delhi: -

"I have the honour to inform you that Dr. Harsh Vardhan, Hon'ble Member of Delhi Legislative Assembly, Delhi alongwith his supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police at the first barricader in the front of Dr. Ambedkar Stadium, New Delhi at 2.30 PM on 01.12.22004

He alongwith his supporters was released at 2.50 PM from Police Station I.P. Estate on the same day i.e. 01.12.2004."

SIDDHARATH RAO SECRETARY